## — प्रेस नोट—

*जनपद मीरजापुर।*

*संख्या-05/2021* *दिनांक-21.02.2021*

### ***थाना को0शहर पुलिस द्वारा भाई की हत्या करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार—***

ज्ञातव्य हो कि दिनांक 19.02.2021 को वादी राधेश्याम बिन्द पुत्र कृपाराम बिन्द निवासी बिसुन्दरपुर थाना कोतवाली शहर मीरजापुर द्वारा थाना कोतवाली शहर पर लिखित सूचना दी गई कि मेरे पुत्र मट्टरर बिन्द उम्र करीब-32 वर्ष की दिनांक 18.02.2021 की घर पर समय करीब 22.30 बजे संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई, शव घर पर पड़ा है। सूचना पर थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण चिकित्सकों द्वारा ASPHYXIA DUE TO THROTTLING अंकित किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0-28/2021 धारा 302 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग की विवेचना प्र0नि0 रवीन्द्र प्रताप यादव थाना कोतवाली शहर द्वारा ग्रहण की गई। विवेचना के दौरान मृतक के सगे भाई दशरथ बिन्द उम्र करीब-28 वर्ष का नाम अभियुक्त के रूप में प्रकाश में आया। अभियुक्त दशरथ बिन्द के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आज दिनांक 21.02.2021 को प्र0नि0 कोतवाली शहर मय हमराह द्वारा दुमुहिया तिराहा से समय 10.30 बजे दिन में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि मृतक शराबी किस्म का था जो मुझे तथा मेरी पत्नि को प्रताड़ित करता रहता था। मृतक की प्रताड़ना से दुखी होकर गला घोंटकर हत्या करने की बात स्वीकार किया।

### ***गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम —***

1. प्र0नि0 रवीन्द्र प्रताप यादव थाना को0शहर मीरजापुर।
2. हे0का0 मनीष कुमार थाना को0शहर मीरजापुर।
3. का0 अवध बिहारी थाना को0शहर मीरजापुर।
4. का0 हिमांशू वर्मा थाना को0शहर मीरजापुर।